पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2014 ई0 (कार्तिक 24, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–46

### विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... ... ... | – | 3075 |
| भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ... | 581–596 | 1500 |
| भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ... | 459–464 | 1500 |
| भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ... ... | – | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | – | 975 |
| भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ... ... | – | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ... ... | – | 975 |
| भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ... ... ... | – | 975 |
| भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ... ... | – | 975 |
| भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ... | – | 975 |
| स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ... | – | 1425 |

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## सचिवालय प्रशासन (अधि0)/अनुभाग–1

अधिसूचना

09 अक्टूबर, 2014 ई0

संख्या 2693/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित अशोक चक्र से सम्बन्धित कार्यों को तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित कार्यों से निरस्त करते हुए समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3 के अन्तर्गत आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. तद्नुसार उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1093/XXX(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 729/XXXI-1/2014 दिनांक 15 मई, 2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव।

---

## आबकारी अनुभाग

कार्यालय–ज्ञाप

29 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 547/XXIII/2014/40/2004–तात्कालिक प्रभाव से श्री बी0एस0 चौहान एवं श्री टी0के0 पन्त, उप आबकारी आयुक्त को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

डा0 एस0एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव।

---

## गृह अनुभाग–6

अधिसूचना

प्रोन्नति/तैनाती

29 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 1063/बीस–6/01(14)2008–तात्कालिक प्रभाव से श्री गुमानी सिंह राणा, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 6600) को संयुक्त निदेशक (विधि) (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600) के पद पर पदोन्नत करते हुए संयुक्त निदेशक (विधि), जनपद हरिद्वार में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

## अधिसूचना

### प्रोन्नति/तैनाती

29 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 1064/बीस–6/01(14)2008–तात्कालिक प्रभाव से श्री जगपाल सिंह बिष्ट, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 6600) को संयुक्त निदेशक (विधि) (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600) के पद पर पदोन्नत करते हुए संयुक्त निदेशक (विधि), जनपद देहरादून में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

---

## आबकारी अनुभाग

### कार्यालय–ज्ञाप

01 अक्टूबर, 2014 ई0

संख्या 556/XXIII/2014/01(03)/2014–तात्कालिक प्रभाव से श्री एस0के0 काम्बोज, सहायक आबकारी आयुक्त को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप आबकारी आयुक्त के पद वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री काम्बोज को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री काम्बोज को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तद्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

### कार्यालय–ज्ञाप

01 अक्टूबर, 2014 ई0

संख्या 557/XXIII/2014/01(03)/2014–तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आबकारी निरीक्षकों को नियमित चयनोपरान्त सहायक आबकारी आयुक्त के पद वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | तपन कुमार | 02. | प्रभाशंकर मिश्रा |
| 03. | विवेक सोनकिया | 04. | आलोक कुमार शाह |
| 05. | अशोक कुमार मिश्रा | 06. | दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी |
| 07. | पवन कुमार सिंह | 08. | राजीव सिंह चौहान |
| 09. | नाथूराम जोशी | 10. | मनोज कुमार उपाध्याय |
| 11. | दीपाली शाह | 12. | रेखा जुयाल भट्ट |
| 13. | देवेन्द्र गिरि गोस्वामी | 14. | प्रशान्त कुमार |
| 15. | हरिश्चन्द्र कुमार | | |

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल सहायक आबकारी आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण कर शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–274/(एस/बी)/2011 एवं रिट याचिका संख्या–1085/(एस/एस)/2013 में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तद्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

6. उल्लिखित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम आदेशों तक वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे।

7. उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 एस0एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव।

---

## वित्त अनुभाग–9

### अधिसूचना

11 अगस्त, 2014 ई0

संख्या 223/2014/XXVII(9)/स्टाम्प-11/2014–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 630/XXVII(9)/2010/स्टाम्प-47/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2010 में आंशिक उपान्तरण करते हुये जिला नैनीताल के उप–जिला हल्द्वानी, प्रथम व उप–जिला हल्द्वानी द्वितीय की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला नैनीताल के उप–जिला हल्द्वानी, प्रथम व उप–जिला हल्द्वानी द्वितीय की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं:–

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपर्युक्त परिवर्तन को दिनांक 11–08–2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

### अनुसूची

### कार्यालय उप–रजिस्ट्रार हल्द्वानी (प्रथम) (द्वितीय)

### हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

| क्रम संख्या | उप जिले का नाम | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | हल्द्वानी (प्रथम) | उप–निबन्धन जिला हल्द्वानी प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला हल्द्वानी द्वितीय का समस्त क्षेत्र |
| 2. | हल्द्वानी (द्वितीय) | उप–निबन्धन जिला हल्द्वानी प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला हल्द्वानी द्वितीय का समस्त क्षेत्र |

## अधिसूचना

11 अगस्त, 2014 ई0

संख्या 224/2014/XXVII(9)/स्टाम्प-11/2014—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 321/XXVII(9)/2010/स्टाम्प-05/2010, दिनांक 18 मई, 2010 में आंशिक उपान्तरण करते हुये जिला देहरादून के उप—जिला विकासनगर, प्रथम व उप—जिला विकासनगर द्वितीय की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला देहरादून के उप—जिला विकासनगर, प्रथम व उप—जिला विकासनगर द्वितीय की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं:—

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपर्युक्त परिवर्तन को दिनांक 11—08—2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

### अनुसूची

### कार्यालय उप—रजिस्ट्रार विकासनगर (प्रथम) (द्वितीय)

### हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

| क्रम संख्या | उप जिले का नाम | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | विकासनगर (प्रथम) | उप—निबन्धन जिला विकासनगर प्रथम तथा उप—निबन्धन जिला विकासनगर द्वितीय का समस्त क्षेत्र |
| 2. | विकासनगर (द्वितीय) | उप—निबन्धन जिला विकासनगर प्रथम तथा उप—निबन्धन जिला विकासनगर द्वितीय का समस्त क्षेत्र |

## अधिसूचना

11 अगस्त, 2014 ई0

संख्या 225/2014/XXVII(9)/स्टाम्प-11/2014—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 475/XXVII(9)/2010/स्टाम्प-37/2010, दिनांक 16 जून, 2010 में आंशिक उपान्तरण करते हुये जिला हरिद्वार के उप—जिला हरिद्वार, प्रथम व उप—जिला हरिद्वार द्वितीय की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला हरिद्वार के उप—जिला हरिद्वार, प्रथम व उप—जिला हरिद्वार द्वितीय की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं:—

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपर्युक्त परिवर्तन को दिनांक 11—08—2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

## अनुसूची

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार हरिद्वार (प्रथम) (द्वितीय)

हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

| क्रम संख्या | उप जिले का नाम | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | हरिद्वार (प्रथम) | उप–निबन्धन जिला हरिद्वार प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला हरिद्वार द्वितीय का समस्त क्षेत्र |
| 2. | हरिद्वार (द्वितीय) | उप–निबन्धन जिला हरिद्वार प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला हरिद्वार द्वितीय का समस्त क्षेत्र |

## अधिसूचना

11 अगस्त, 2014 ई0

संख्या 226/2014/XXVII(9)/स्टाम्प-11/2014–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 539/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–09/2010, दिनांक 04 अगस्त, 2010 में आंशिक उपान्तरण करते हुये जिला देहरादून के उप–जिला देहरादून, प्रथम व उप–जिला देहरादून द्वितीय उप–जिला देहरादून तृतीय व उप–जिला देहरादून चतुर्थ की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला देहरादून के उप–जिला देहरादून प्रथम, उप–जिला देहरादून द्वितीय, उप–जिला देहरादून तृतीय व उप–जिला देहरादून चतुर्थ की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं:–

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपर्युक्त परिवर्तन को दिनांक 11–08–2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

## अनुसूची

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार देहरादून (प्रथम) (द्वितीय) (तृतीय) (चतुर्थ)

हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

| क्रम संख्या | उप जिले का नाम | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | देहरादून (प्रथम) | उप–निबन्धन जिला देहरादून प्रथम, उप–निबन्धन जिला देहरादून द्वितीय, उप–निबन्धन जिला देहरादून तृतीय तथा उप निबन्धन जिला देहरादून चतुर्थ का समस्त क्षेत्र |
| 2. | देहरादून (द्वितीय) | उप–निबन्धन जिला देहरादून प्रथम, उप–निबन्धन जिला देहरादून द्वितीय, उप–निबन्धन जिला देहरादून तृतीय तथा उप निबन्धन जिला देहरादून चतुर्थ का समस्त क्षेत्र |
| 3. | देहरादून (तृतीय) | उप–निबन्धन जिला देहरादून प्रथम, उप–निबन्धन जिला देहरादून द्वितीय, उप–निबन्धन जिला देहरादून तृतीय तथा उप निबन्धन जिला देहरादून चतुर्थ का समस्त क्षेत्र |
| 4. | देहरादून (चतुर्थ) | उप–निबन्धन जिला देहरादून प्रथम, उप–निबन्धन जिला देहरादून द्वितीय, उप–निबन्धन जिला देहरादून तृतीय तथा उप निबन्धन जिला देहरादून चतुर्थ का समस्त क्षेत्र |

## अधिसूचना

11 अगस्त, 2014 ई0

संख्या 227/2014/XXVII(9)/स्टाम्प-11/2014—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 535/XXVII(9)/2013/स्टाम्प-12/2011 दिनांक 10 जनवरी, 2014 में आंशिक उपान्तरण करते हुये जिला हरिद्वार के उप–जिला रुड़की प्रथम, उप–जिला रुड़की द्वितीय व उप–जिला रुड़की तृतीय की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला हरिद्वार के उप–जिला रुड़की प्रथम, उप–जिला रुड़की द्वितीय व उप–जिला रुड़की तृतीय की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं:–

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपर्युक्त परिवर्तन को दिनांक 11–08–2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

### अनुसूची

### कार्यालय उप–रजिस्ट्रार रुड़की (प्रथम) (द्वितीय) (तृतीय)

### हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

| क्रम संख्या | उप जिले का नाम | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | रुड़की (प्रथम) | उप–निबन्धन जिला रुड़की प्रथम, उप–निबन्धन जिला रुड़की द्वितीय तथा उप–निबन्धन जिला रुड़की तृतीय का समस्त क्षेत्र |
| 2. | रुड़की (द्वितीय) | उप–निबन्धन जिला रुड़की प्रथम, उप–निबन्धन जिला रुड़की द्वितीय तथा उप–निबन्धन जिला रुड़की तृतीय का समस्त क्षेत्र |
| 3. | रुड़की (तृतीय) | उप–निबन्धन जिला रुड़की प्रथम, उप–निबन्धन जिला रुड़की द्वितीय तथा उप–निबन्धन जिला रुड़की तृतीय का समस्त क्षेत्र |

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

---

## भाषा विभाग

### विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना

### कार्यालय ज्ञाप

29 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 506/XXXIX/14-45(सा0)/2012—श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों को एवं राज्य की स्थानीय भाषाओं हेतु स्थापित संस्थानों की नियमावलियों में अन्तर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजभाषा हिन्दी की विभिन्न पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, शोध पत्रिकाओं में लेखन को बढ़ावा देने तथा इसके साथ राज्य की विभिन्न लोक भाषाओं एवं उत्तराखण्ड भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन गठित/आने वाली संस्थाएं जो किसी भाषा विशेष के लिए कार्य कर रही हैं, से सम्बन्धित भाषाओं को संरक्षित रखते हुये इनकी प्रोन्नति के लिये आर्थिक रूप से कमजोर लेखकों को ही राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत सीमित प्रकाशन/पुस्तक

लेखन के लिय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान योजना को प्रारम्भ/सम्मिलित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, नियमावली, 2013 एवं उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी नियमावली, 2013 तथा भविष्य में आने वाली अन्य प्रकार की भाषायी संस्थाओं की नियमावली के अन्तर्गत कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त विभिन्न भाषाओं में ग्रन्थ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

## 2. संचालन के मानदंड –

राज्य में प्रयुक्त अन्य भाषाओं के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी एवं लोकभाषाओं के लिये विशिष्ट लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाएं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:–

भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित होने वाली संस्थाएं या भविष्य में आने वाली ऐसी सम्भावित संस्थाएं जो भाषा विशेष के संर्वद्वन, प्रचार–प्रसार के लिये कार्यरत् हों, के द्वारा विशिष्ट लेखा–शीर्षकों के अन्तर्गत संचालित की जा रही अनुदान योजनाएं, जो भाषा विभाग द्वारा नियंत्रित होंगी।

## 3. सहायता की सीमा –

**3.1** योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सहायता उक्त प्रकाशन के लिये कुल अनुमोदित व्यय के 80 प्रतिशत, अन्य प्रकाशनों के लिए और दुर्लभ पांडुलिपियों की वर्णनात्मक अनुक्रमणिकाओं के लिये 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस उद्देश्य के लिये वर्णनात्मक अनुक्रमणिकाओं के लिये 500 प्रतियों और अन्य प्रकाशनों के लिये 1100 प्रतियों तक के मुद्रण होने का अनुमान है।

**3.2** ऐसे व्यय में (जहां कोई स्थाई स्थापना नहीं है) लेखक/संपादक/अनुवादक को पांडुलिपि तैयार करने (आशुलेखन/टंकण सहित) के लिये मानदेय, कागज, प्रूफ रीडिंग तथा पुनरीक्षण, मुद्रण तथा जिल्दसाजी की लागत का प्रावधान हो सकता है। भवन किराया, यात्रा–व्यय, उपकरण (जैसे– टाईपराइटर और फर्नीचर, डाक–व्यय आदि) स्वीकार्य नहीं होगा।

**3.3** पिछले दायित्वों, ऋणों को चुकाने के लिये अथवा संभावित बजट और सरकारी स्रोत से स्वीकार्य अनुदान में कमी को पूरा करने के लिये सहायता देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

**3.4** इस योजना के लिए अनुमोदित व्यय के संबंध में कोई भी निर्णय सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नियमों के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

**3.5** इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट की सीमा के अन्तर्गत ही सहायता प्रदान की जाएगी। किसी भी स्थिति में एक वित्तीय वर्ष की देयता दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए नहीं रखी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में ही साधारण सभा के अनुमोदनोपरान्त पुनर्विनियोग की सिफारिश की जाएगी तथा विशेष परिस्थितियों का अंकन भी किया जाएगा।

**3.6** इस योजना के अंतर्गत उपयुक्त अनुरोधों पर हिन्दी भाषा एवं अन्य स्थानीय भाषाओं के लिये अनुदान समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा, इस कार्य हेतु गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा अपनी सिफारिश की जाएगी। इस समिति का गठन

उत्तराखण्ड या अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्षों, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित साहित्यकारों तथा प्रचलित अन्य भाषाओं तथा लोक भाषाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिष्ठित साहित्यकारों/विद्वानों को सम्मिलित करते हुए गठित की जाएगी। समिति के गठन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अनुरोध कर नामांकन शासन की अनुमति से किया जाएगा। यह समिति पुस्तक की उपादेयता तथा विभिन्न मानकों के आधार पर अपनी संस्तुतियां करेगी तथा ऐसे मानकों का उल्लेख करेगी। यह समिति हिन्दी या लोकभाषा के लिये पृथक–2 रूप से कार्य करेगी या संस्तुतियां करेगी।

**3.7** अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान ((क) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान (ख) उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी (ग) उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी (घ) उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी) हेतु व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा निम्न तालिका के अनुसार व्यय की जाएगीः–

| क0सं0 | संस्थान | आर्थिक सहायता की अधिकतम धनराशि सीमा |
|---|---|---|
| 1 | उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी | रू0 8.00 लाख |
| 2 | उत्तराखण्ड भाषा संस्थान | रू0 8.00 लाख |
| 3 | उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी | रू0 4.00 लाख |
| 4 | उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी | रू0 4.00 लाख |

उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही चयनित की गई पुस्तकों/व्यक्तियों में निश्चित अनुपात में निर्धारित कर व्यय किया जाएगा और यदि व्यक्तियों की संख्या में घट–बढ (परिवर्तन) होता है तो धनराशि को उसी अनुपात में निर्धारित कर व्यय किया जाएगा। भविष्य में अन्य स्थापित होने वाली संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा वित्त विभाग के परामर्श से उपरोक्त तालिका में सम्मिलित कर की जाएगी।

**3.8** यदि किसी वर्ष चयनित पुस्तकें गुणवत्ता एवं अन्य पात्रता संबंधी मापदण्डों पर युक्ति संगत प्रमाणित नहीं होती है तो समितियां किसी भी वित्तीय वर्ष में अनुदान न दिये जाने की संस्तुतियां कर सकती है।

**4. सहायता का क्षेत्र –**

**4.1** इस योजना के अंतर्गत विचार हेतु निम्न प्रकार के प्रकाशन रखे जा सकते हैं:–

(1) विश्वकोश जैसी सन्दर्भित पुस्तकें, ज्ञापन पुस्तक संग्रह, ग्रंथसूची व शब्दकोश, शब्दकोश के मामले में (जो एक या अधिक भाषाओं में हो सकता है) इसका व्यय योजना हेतु निर्धारित बजट मदों से पृथक–पृथक खर्च वहन किया जाएगा।

(2) दुर्लभ पांडुलिपियों के व्याख्यात्मक सूचीपत्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 500 प्रतियों तक मुद्रण आदेश के साथ।

(3) विभिन्न भाषाओं के लिये स्वयं शिक्षक/स्वयं अनुदेशक, जिनका आधार राजभाषा हिन्दी/अन्य भाषाओं/लोकभाषाएं हों।

(4) भाषाविज्ञान, साहित्यिक (उपन्यास, नाटक, कविता, तथा शोध–प्रबंध को छोडकर) भारतीय उत्कृष्ट विद्याओं, सामाजिक, मानव–विज्ञान तथा सांस्कृतिक विषयों पर मूल लेखन।

(5) प्राचीन पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण और/या प्रकाशन।

(6) (4) में सूचित विषयों पर मूल रूप में अन्य भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद व प्रकाशन अथवा आवश्यकतानुसार जन–सामान्य के हितार्थ लोकभाषाओं में अनुवाद।

(7) विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों का देवनागरी में लिप्यंतरण और हिन्दी एवं लोकभाषाओं में अनुवाद सहित हिन्दी भाषा में प्रकाशन।

(8) 30 वर्ष से अधिक समय से पहले प्रकाशित तथा जो उपलब्ध नहीं है ऐसी दुर्लभ पुस्तकों का पुनर्मुद्रण/संशोधित संस्करण।

(9) कोई अन्य प्रकाशन जिससे हिन्दी की प्रोन्नति सुनिश्चित हो।

4.2 मौलिक पुस्तक प्रकाशन हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में उचित पुस्तक तक अनुदान पहुंचने हेतु निम्नलिखित आधार भी रखे जा सकते हैं:–

(1) मौलिकता

(2) भाषा एवं शैली

(3) वर्तमान/भावी परिप्रेक्ष्य में पुस्तक की उपयोगिता

(4) सुव्यवस्थित प्रस्तुति

(5) संपादन की गुणवत्ता– विधाओं और विषयों की विविधता, सामग्री का चयन, प्रस्तुतीकरण, साज–सज्जा, ले आउट, पृष्ठ संख्या का इष्टतम उपयोग आदि।

5. पात्रता–

5.1 वह व्यक्ति जो लेखक/संपादक हैं या वह व्यक्ति उक्त पुस्तक प्रकाशित करना चाहता है और उसका सर्वाधिकार रखना चाहता है, (व्यावसायिक प्रकाशनों को छोड़कर) सहायता हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि आवेदक का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अपने कार्यकलापों से होने वाले किसी भी लाभ को बोनस या लाभांश के रूप में अपने सदस्यों या धारकों के बीच वितरित करने के लिये कार्य कर रहा हो अथवा निगमित/पंजीकृत हो।

5.2 विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य सरकार के माध्यम से) उन परियोजनाओं के संबंध में आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होती है। योजना के उद्देश्यानुसार आर्थिक रूप से कमजोर लेखकों की उत्कृष्ट रचना प्रकाशन को वरीयता प्रदान करने पर पैरा 3.6 में गठित कमेटी विचार करेगी।

5.3 सरकार यथा आवश्यक ऐसी सलाह प्राप्त करने के बाद योजना के प्रावधानों के पैरा 4.1 में सूचीबद्ध प्रकार से साहित्य सृजन को शुरू करने के लिये अलग–अलग छात्रों, विश्वविद्यालयों को कार्य सौंप सकती है।

5.4 प्रस्तर 3.6 में गठित समिति उन साहित्यकारों का चयन में वरीयता देगी, जिन्हें पूर्व में भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार से पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई हो।

**6. आवदेन पत्र प्रस्तुत करना–**

**6.1** लोकभाषा साहित्य तथा अन्य भाषाओं के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता के लिये निर्धारित प्रपत्र में लोकभाषा/स्थानीय भाषा में प्रकाशन के लिए आवेदन निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून, हिन्दी में प्रकाशन के लिए सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, देहरादून, पंजाबी भाषा में प्रकाशन के लिए उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, देहरादून तथा उर्दू भाषा में प्रकाशन के लिए उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, देहरादून तथा भविष्य में गठित होने वाली संस्थाओं हेतु जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक पुस्तक के संबंध में अलग–अलग रूप से प्रस्तुत करना होगा।

**6.2** आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दर्शाए गए दस्तावेंजो के साथ दो प्रतियों में करने होंगे।

**6.3** जहां प्रस्ताव में प्रकाशन/पुनर्मुद्रण/संशोधित संस्करण शामिल हों, तो पांडुलिपि/पुराने संस्करण की दो प्रतियां यह सुनिश्चित करते हुए आवेदन पत्र के साथ भेजी जानी चाहिए कि मूल प्रति प्रार्थी के पास सुरक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रकाशित पिछले प्रकाशन (यदि कोई हो) की एक विवरणात्मक सूची, इस संबंध में शीर्षक, विषयवस्तु, सूची और प्रस्तावित प्रकाशन के स्थितिय महत्व को दर्शाते हुए परियोजना रिपोर्ट, जो कि परियोजना इत्यादि के लिये व्यावसायिक दक्षता, वित्तीय और संस्थापन सहायता से संबंधित हो, के अलावा भेजी जानी चाहिए।

**6.4** आवेदन पत्र तिथियों की उपलब्धता और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार उचित स्तरों पर विचार करने के लिये प्रत्येक वर्ष के 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

**6.5** आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु इस योजना के प्राविधानों के अनुसार विज्ञापन माह जुलाई में प्रतिष्ठित अधिकतम 03 समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन आमंत्रित किये जाएंगें।

**7. अनुदान की शर्तें –**

**7.1** अनुदानग्राही संस्वीकृत अनुदान जारी करने से पूर्व इस आशय का एक बंध–पत्र (संलग्न प्रपत्र में) भरेगा, कि अनुदान से शुरू किया जाने वाला कार्य, उचित समय के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसकी अवधि प्रथम किश्त की संस्वीकृति की तिथि अथवा अनुदानग्राही के पूर्व अनुरोध पर सरकार द्वारा बढ़ाई गई तथा निर्धारित तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और अनुदान केवल उसी उद्देश्य के लिये उपयोग में लाया जाएगा जिसके लिये संस्वीकृत किया गया है। ऐसा न करने पर संस्थान पूरा संस्वीकृत अनुदान ब्याज सहित जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार को लौटाने के लिये उत्तरदायी होगा। पुस्तकों की प्रतियों की खरीद के मामले में कोई बंध पत्र नहीं भरा जाएगा।

**7.2** प्रकाशन के मामले में जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है अनुमोदित अनुदान प्रकाशन की प्रकृति व प्रगति के आधार पर उचित किश्त में दिया जाएगा तथा किसी भी मामले में एक किश्त में नहीं दिया जाएगा।

**7.3** सरकार को यह छूट होगी कि वह समय–समय पर अनुदानग्राही को जब भी आवश्यक हो, अनुमोदित प्रकाशनों के प्रपत्र व विषयवस्तु पर इस प्रकार के सुझाव/निर्देश दे सकती हैं तथा अनुदानग्राही को इसका पालन करना होगा। पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण के मामले में इस प्रकार के निर्देशों में टिप्पणियां, तुलनात्मक विवेचना, उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों की प्रमाणिकता एवं लेखक की जीवनी पर टिप्पणी आदि का अध्ययन शामिल हो सकता है।

**7.4** अंतिम किश्त देने पर विचार केवल (कुल अनुमोदित अनुदान का एक तिहाई से कम नहीं) अनुदानग्राही से निम्नलिखित साम्रगी प्राप्ति होने के पश्चात् ही किया जाएगाः–

(एक) चार्टरित लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रकाशन की सम्पूर्णता पर कुल व्यय के संबंध में (तथा विश्वविद्यालयों के मामले में वित्त/लेखा परीक्षा अधिकारी तथा रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित हो)

(दो) कुल अनुमोदित व्यय के संबंध में चार्टरित लेखाकार द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण–प्रत्र

(तीन) अनुदानग्राही द्वारा यथावत् हस्ताक्षरित परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट यदि कोई है तथा

(चार) अंतिम रूप से प्रकाशित पांच समानार्थ प्रतियां।

(पाँच) चार्टड लेखाकार में उन चार्टड लेखाकारों को वरीयता दी जाएगी यदि वे किसी प्रकार से राज्य सरकार से संबंद्व हैं एवं ऐसे चार्टड लेखाकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वीकार्य होगा।

**7.6** योजना के अंतर्गत सहायता से निकाली गई पुस्तक/प्रकाशन का उचित मूल्य राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदित से निर्धारित किया जाएगा।

**7.7** एक बार परियोजना के अनुमान आदि पर्याप्त रूप से अनुमोदित किये जा चुके हैं तथा अनुदान इस प्रकार के अनुमानों पर निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आवेदक उनमें कोई संशोधन नहीं करेगा।

**7.8** सरकार द्वारा दिये गये अनुदान से निर्मित सम्पत्ति राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी व्यक्ति/संस्थान को स्थानांतरित नहीं की जाएगी। यदि किसी भी समय अनुदानग्राही संगठन/संस्थान अस्तित्व में नहीं रहना चाहता है तो सरकारी अनुदान की धनराशि सरकार को ब्याज सहित (जो राज्य सरकार उचित समझे) वापस की जाएगी।

**7.9** संगठन/संस्थान एवं साहित्यकार के लेखे ठीक प्रकार से रखे व प्रस्तुत किये जायेंगे तथा जब भी आवश्यक हो उत्तराखण्ड सरकार के प्रतिनिधि द्वारा उनकी जांच की जाएगी।

**7.10** यदि राज्य सरकार के समक्ष यह कारण है कि संगठन/संस्थान या साहित्यकार के क्रियाकलापों का उचित प्रकार से प्रबंध नहीं किया जा रहा है या संस्वीकृत राशि का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिये नहीं किया गया है तो राज्य सरकार तुरंत अनुदान की आगे की किश्तों का भुगतान रोक सकती है तथ अनुदानग्राही से वह राशि वसूली जा सकती है जो सरकार के द्वारा संस्वीकृत अनुदान के संबंध में मुक्त की गई है।

**7.11** आवेदक अपने कार्य में विशेष रूप से सरकारी अनुदान में से व्यय के संबंध में मितव्ययता बरतेंगे।

**7.12** परियोजना/योजना पर प्रगति रिपोर्ट 3 महीने के नियमित अंतराल पर दी जाएगी।

**7.13** यदि दिया गया अनुदान राज्य सरकार के अनुदान (यदि कोई हो) से कुल वास्तविक व्यय से अनुमोदित मदों वास्तविक व्यय के 80 प्रतिशत से अधिक है तो दोंनो के अंतर की राशि उत्तराखण्ड सरकार को वापस की जाएगी।

**7.14** प्रकाशनों के प्रत्येक शीर्षक पृष्ठ पर निम्नलिखित प्रविष्टियां होंगी:–

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून/उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, देहरादून/उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, देहरादून/उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के संस्वीकृत पत्र संख्या.....दिनांक..... के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रकाशित।

कॉपीराइट.....अनुदानग्राही के पास है।

## राजभाषा हिन्दी/अन्य भाषाओं तथा उत्तराखण्ड की लोकभाषाओं/अन्य संस्थानों में प्रकाशन के लिये वित्तीय सहायता योजना

"राजभाषा हिन्दी/अन्य भाषाओं तथा उत्तराखण्ड लोकभाषाओं में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रार्थना –पत्र"

द्वारा

.....

..... स्थानः–.....

..... दिनांकः–.....

सेवा में,

1– निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
देहरादून।

2– सचिव,
उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी
देहरादून।

3– निदेशक,
उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी,
देहरादून।

4– निदेशक,
उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी,
देहरादून।

महोदय,

लोकभाषा/हिन्दी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मेरी पांडुलिपि..... के प्रकाशन अनुदान हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत हैं।

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने योजना के समस्त नियमों को पढ लिया है, मैं उन्हें मानने के लिये सहमत हूं।

3. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि प्रस्तुत पांडुलिपि अप्रकाशित है (पुनर्मुद्रण को छोडकर) तथा यह कहीं भी प्रकाशन के लिये प्रस्तुत नहीं की गई है, साथ ही जब तक भाषा विभाग से इस मामले का अंतिम निपटान नहीं हो जाता, इसे कहीं भी प्रकाशन के लिये प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

तथा पता.....

दूरभाष सहित.....

## राजभाषा हिन्दी/अन्य भाषाओं तथा उत्तराखण्ड की लोकभाषाओं में प्रकाशन के लिये वित्तीय सहायता योजना

"राजभाषा हिन्दी/ अन्य भाषाओं तथा उत्तराखण्ड की लोकभाषाओं में प्रकाशन के लिये वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत"

आवदेन पत्र
(योजना के पैरा 6.1 के अनुसार)
नोटः– आवेदन के प्रत्येक कॉलम को भरा जाए।

**उत्तराखण्ड शासन**

**भाषा विभाग/उत्तराखण्ड भाषा संस्थान/पी0द0ब0 हिन्दी अकादमी/उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी/उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी**

1. आवेदक का नाम ——.....
   आवेदक की स्थिति
   **व्यक्ति/संगठन/संस्था** ——.....
9. (अ) पांडुलिपि का नाम ——.....
   (ब) लेखक का नाम ——.....
   (स) पुस्तक का प्रकाशन
   कितने खण्डों/भागों
   में होगा ——.....
   (द) यदि प्रकाशन कई खण्डों
   /भागों में होना है तो किस
   खंड /भाग के लिये वित्तीय
   सहायता मांगी जा रही है ——.....
10. पुस्तक प्रकाशन का प्रतिपाद्य
    विषय ——.....
11. प्रस्तुत आवेदन क्या प्रथम
    संस्करण के प्रकाशन के
    संबंध में है या यह पुनर्मुद्रण
    के संबंध में है यदि यह पुनर्मुद्रण
    है तो प्रथम संस्करण की तिथि
    बतायें। ——.....
12. प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में
    आवेदक की स्थिति (लेखक/
    संपादक/अनुवादक/प्रकाशक) ——.....
13. प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में
    कॉपीराइट किसके पास है ——.....
14. प्रस्तुत प्रकाशन पर कुल
    अनुमानित व्यय (रू.....तक सीमित)——.....
    (अ) दुर्लभ पांडुलिपियों की सूचियों के मुद्रण हेतु 500 प्रतियां
    (ब) अन्य पांडुलिपियों के मुद्रण हेतु 1100 प्रतियां

## प्रकाशन/उत्पादन व्यय

क. (1) पुस्तक कितने भागों/खंडों में प्रकाशित होगी —.....

(2) अनुमानित मुद्रित पृष्ठ (प्रत्येक खंड/भाग के लिये अलग-अलग पृष्ठ लिखें) —.....

(3) प्रकाशित पुस्तक का आकार —.....

ख. कंपोजिंग ऑफ टेक्स्ट

(1) फोटो कंपोजिंग ऑफ टेक्स्ट — रू0.....

(2) प्लेट मेंकिंग — रू0.....

(3) चित्र/नक्शे — रू0.....

(4) कलर — रू0.....

कंपोजिंग पर कुल व्यय — रू0.....

ग. प्रूफ रीडिंग/बैटिन चार्जेज — रू0.....

घ. टेक्स्ट प्रिंटिंग (ऑफसेट) पर व्यय — रू0.....

ड. कागज पर व्यय

| क्रम संख्या | कागज का प्रकार | भार | दर/रीम | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | क्रीम वेव | ..... | ..... | ..... |
| 2 | मैप्लिथो | ..... | ..... | ..... |
| 3 | आर्टपेपर | ..... | ..... | ..... |
| 4 | अन्य | ..... | ..... | ..... |

कागज का मूल्य.....

च. कवर पेपर, कवर डिजाइनिंग, कवर प्रोसेसिंग- प्लेट मेकिंग तथा कवर प्रिंटिंग पर कुल व्यय — रू0.....

छ. जिल्दसाजी

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,

सचिव।

---

## वित्त अनुभाग-8

### अधिसूचना/संशोधन

24 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 832/2014/xxvii-(8)/सू0अ0अ0/2005—वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सचलदल इकाईयों एवं विशेष अनुसंधान शाखाओं (वि0अनु0शा0) में सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने विषयक वित्त अनुभाग-8 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 358/2013/xxvii-(8)/सू0अ0अ0/2005, दिनांक 22 अप्रैल, 2013 की सूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित 'लोक प्राधिकारी इकाई' के स्थान पर 'इकाई का नाम' पढ़ा जाये।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,

अपर सचिव।

## सिंचाई अनुभाग–1

### शुद्धि–पत्र

24 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 2818/II-2014-01(29)(18)-2011/2013–शासन के विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश संख्या 2022/II-2014-01(29)(18)-2011/2013, दिनांक 06–08–2014 द्वारा डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये।

2. उक्त आदेश के क्रमांक 8 पर अंकित श्री कैलाश चन्द्र रजवार को नाम टंकणीय त्रुटिवश श्री कैलाश सिंह रजवार टंकित हो गया है। अतः उक्त आदेश में श्री कैलाश सिंह रजवार के स्थान पर श्री कैलाश चन्द्र रजवार पढ़ा जाय।

3. उक्त विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश संख्या 2022/II-2014-01(29)(18)-2011/2013, दिनांक 06–08–2014 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. उक्त विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश संख्या 2022/II-2014-01(29)(18)-2011/2013, दिनांक 06–08–2014 के अन्य प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे।

सुनील श्री पांथरी,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/696–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2014 ई0 (कार्तिक 24, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

{धारा 25–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत}

09 जुलाई, 2014 ई0

पत्रांक 1531/आयुक्त कर उत्तराखण्ड/विधि–अनु0/2014–15/वाणिज्यकर देहरादून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 25–क की उपधारा (1) तथा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 4 के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि ऐसे पंजीकृत ब्यौहारियों, जिन्हें वाणिज्य कर विभाग की वैबसाईट http://comtax.uk.gov.in पर "List of Deemed Assessed Cases" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सूची में सम्मिलित किया गया है, को उस कर निर्धारण वर्ष के लिए, जैसा कि इस सूची में अंकित किया गया है, वैबसाईट पर प्रकाशन के दिनांक से स्वतः कर निर्धारित घोषित मान लिया जायेगा और ऐसी सूची को ही धारा 25–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित माना जायेगा।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

15 सितम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 2671/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/14–15/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर के पत्र संख्या–1305/ज्वा0कमि0(कार्य0) वा0क0का0/2014–15/फार्म–अनु0/दिनांक 01–09–2014 द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित कुल 01 व्यापारी की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनुभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1305/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/2014–15/फार्म–अनु0/दि0 01 सितम्बर, 2014

महोदय,

निवेदन है कि काशीपुर संभाग, काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड–3 रूद्रपुर के पत्र संख्या–441, दिनांक 14–08–2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि सर्वश्री ग्लोबल ट्रेड लिंक एण्ड इंजीनियर्स शक्ति कॉम्पलैक्स, काशीपुर रोड़, रूद्रपुर टिन नं0–05010325966 है। व्यापारी का पंजीयन दिनांक 24–07–2014 से निरस्त कर दिया गया है। जिसकी सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

बी0एस0 नपन्याल,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक,

असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
खण्ड–3, रूद्रपुर।

सेवा में,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

पत्रांक 441/2014–15/असि0कमि0वा0क0रू0खण्ड–3/दिनांक 14 अगस्त, 2014

महोदय,

इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र की फर्म सर्वश्री ग्लोबल ट्रेड लिंक एण्ड इंजीनियर्स शक्ति कॉम्पलेक्स, काशीपुर रोड़, रूद्रपुर टिन नं0–05010325966 द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 से सम्बन्धित कोई भी खरीद बिक्री विवरण प्रस्तुत न करने एवं व्यापार स्थल पर कोई भी व्यापारिक गतिविधि न पाये जाने पर वैट अधिनियम की धारा–18(1) के अन्तर्गत फर्म का पंजीयन दिनांक 24–07–2014 से निरस्त कर दिया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विनय कुमार पाण्डेय,
असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
खण्ड–3, रूद्रपुर।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

परिपत्र

{नियम–9 के उपनियम (10) के अन्तर्गत}

23 सितम्बर, 2014 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 2824/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 04/14–15/देहरादून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के नियम 9(10) के अन्तर्गत, परिपत्र संख्या 43/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/2011–12/वाणिज्य कर/देहरादून, दिनांक 05 अप्रैल, 2011 द्वारा ऑनलाइन दाखिल पंजीयन प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देश के बिन्दु 7 एवं 8 में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी थी कि गैर संवेदनशील मामलों में अभिलेखों का सत्यापन व प्रारम्भिक जांच वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसके उपरान्त पंजीयन जारी किये जाने का दायित्व खण्डाधिकारी का रहेगा।

उक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये गैर संवेदनशील मामलों में वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा अभिलेखों की जांच के उपरान्त पंजीयन जारी किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं:–

निर्देश–

1. संवेदनशील मामलों में ऑनलाइन दाखिल पंजीयन आवेदन–पत्रों के निस्तारण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही यथा पंजीयन सम्बन्धी अभिलेखों का सत्यापन सहित विधिक कार्यवाही (पत्रांक 43,दिनांक 05–04–2011 में विहित प्रक्रियानुसार) तथा व्यापार स्थल की जांच असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा की जाएगी।

2. परिपत्र संख्या 43/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/2011–12/वाणिज्य कर/देहरादून, दिनांक 05 अप्रैल, 2011 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अभिलेखों का सत्यापन व प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा गैर संवेदनशील मामलों में दो कार्यदिवसों के अन्दर व्यापारी को टिन नम्बर मय प्रभावी दिनांक के आवंटित कर दिया जाएगा जिसकी सिस्टम जेनरेटेड सूचना प्रार्थना–पत्र में व्यापारी द्वारा घोषित मोबाइल फोन एवं ईमेल पर चली जाएगी। आवंटन के सम्बन्ध में टिन एवं उसकी प्रभावी दिनांक का अंकन प्रार्थना–पत्र के प्रथम पृष्ठ पर करते हुए वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर करके अपने नाम व पदनाम की स्पष्ट मोहर अंकित कर दी जाएगी तथा पत्रावली सम्बन्धित कर्मचारी को प्राप्त करा दी जाएगी।

3. गैर संवेदनशील मामलों में वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा टिन जारी करने के उपरान्त यदि असिस्टेंट कमिश्नर, समझते हैं कि व्यापार स्थल की जांच अथवा किसी बिन्दु विशेष पर जांच करना आवश्यक है, अथवा व्यापारी द्वारा दाखिल किसी दस्तावेज की जांच करने वाले व्यक्ति/अधिकारी से सत्यापित करना आवश्यक है, अथवा प्रार्थना–पत्र में घोषित तथ्यों की अन्य स्रोत से जांच करवाना आवश्यक है तो ऐसी जांच अपने अधीनस्थ अधिकारी से करवा सकते हैं। जहां वे आवश्यक समझे स्वयं भी कर सकते हैं अथवा व्यापारी से अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकते हैं।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

## कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

### आदेश

09 सितम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 607/पंजीयन निरस्त/2014–15–वाहन संख्या UP03-2243 HGV मॉडल 1997 चैसिस नं0 359073LTQ13257 इंजन नं0 697D30LTQ157329 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री गोपाल अग्रवाल पुत्र श्री रोहतास, निवासी म0नं0 30, सीमेन्ट रोड, वार्ड नं0 08, तहसील टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 30–07–2014 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–07–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विमल पाण्डेय्, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP03-2243 HGV चैसिस नं0 359073LTQ13257 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

### आदेश

09 सितम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 608/पंजीयन निरस्त/2014–15–वाहन संख्या UP03-1344 HGV मॉडल 1996 चैसिस नं0 95907GMVQ125636 इंजन नं0 697D26MVQ135509 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री गोपाल अग्रवाल पुत्र श्री रोहतास, निवासी म0नं0 30, सीमेन्ट रोड, वार्ड नं0 08, तहसील टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 30–07–2014 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–07–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विमल पाण्डेय्, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP03-1344 HGV चैसिस नं0 95907GMVQ125636 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

विमल पाण्डेय्,
पंजीयन अधिकारी,
सहायक सम्भागीय, परिवहन कार्यालय,
टनकपुर (चम्पावत)।

## कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल

### आदेश

23 सितम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 1390/लाइसेंस/नि0–निरस्ती0/2014–वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, अल्मोड़ा ने अपने पत्र संख्या 537/स्टे0/प्र0/अल्मोड़ा/अक्षम चालक/2014, दिनांक 20–09–2014 के माध्यम से श्री दान सिंह मटेला पुत्र श्री टीका सिंह, निवासी–अरहत बाजार, सहारनपुर रोड़, देहरादून, हाल निवासी–शिव भवन, थपलिया, जिला–अल्मोड़ा का अनुज्ञप्ति संख्या–डी–3821/के/95 वाहन चलाने हेतु अक्षम घोषित होने के फलस्वरूप निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है। जिसके क्रम में श्री दान सिंह मटेला पुत्र श्री टीका सिंह निवासी–अरहत बाजार, सहारनपुर रोड़, देहरादून, हाल निवासी–शिव भवन, थपलिया, जिला–अल्मोड़ा इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने तथ्य को स्वीकारते इस कार्यालय द्वारा जारी स्थायी चालान अनुज्ञप्ति संख्या–डी–3821/के/95 ट्रान्सपोर्ट/पी0एस0वी0 (बस) गाड़ी हेतु (पर्वतीय मार्गों के पृष्ठांकन सहित) जारी है तथा दिनांक 10–05–2015 तक वैध है, के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, अल्मोड़ा के अनुरोध एवं लाइसेंसधारक की प्रार्थना पर लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–16 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संख्या–डी–3821/के/95 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

### आदेश

23 सितम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 1391/लाइसेंस/नि0–निरस्ती0/2014–वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, अल्मोड़ा ने अपने पत्र संख्या 537/स्टे0/प्र0/अल्मोड़ा/अक्षम चालक/2014, दिनांक 20–09–2014 के माध्यम से श्री बीरी राम पुत्र श्री गणेश राम, निवासी–सीलालेख, पहाड़पानी, जिला–नैनीताल (उत्तराखण्ड) का अनुज्ञप्ति संख्या–यूके0419830082678 वाहन चलाने हेतु अक्षम घोषित होने के फलस्वरूप निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है। जिसके क्रम में श्री बीरी राम पुत्र श्री गणेश राम, निवासी–सीलालेख, पहाड़पानी, जिला–नैनीताल (उत्तराखण्ड) इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने तथ्य को स्वीकारते इस कार्यालय द्वारा जारी स्थायी चालान अनुज्ञप्ति संख्या–यूके0419830082678 ट्रान्सपोर्ट/पी0एस0वी0 (बस) गाड़ी हेतु (पर्वतीय मार्गों के पृष्ठांकन सहित) जारी है तथा दिनांक 10–05–2015 तक वैध है, के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, अल्मोड़ा के अनुरोध एवं लाइसेंसधारक की प्रार्थना पर लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–16 के अन्तर्गत लाइसेंस सं0–अनुज्ञप्ति संख्या–यूके0419830082678 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

संदीप वर्मा,
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
हल्द्वानी।

## निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड

### प्रभार प्रमाण–पत्र

30 सितम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 1158/वै0पत्रा0/नि0को0वि0से0/2014–प्रमाणित किया जाता है कि रमेश चन्द्र अग्रवाल, निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून, दिनांक 30–09–2014 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्त के फलस्वरूप आज अपरान्ह में निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का प्रभार जैसा कि नीचे व्यक्त है, हस्तानांतरित किया गया।

रमेश चन्द्र अग्रवाल,
मुक्त अधिकारी।

रमेश चन्द्र सेमवाल
मोचक अधिकारी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/696–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।